कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक— 2551 / FP/UK/ROAD/143491/2021: देहरादूनः दिनांकः 10 अप्रैल, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर—मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय— **जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड—नैनीडांडा के अन्तर्गत खण्डोलिया खेत से कौला—पुलटण्डा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.450 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः—भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 109 / 2021 / एफ.सी. / 227, दिनांक 17.05.2022

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसकी अनुपालन आख्या वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्र संख्या—2343 / 12—1, दिनांक 17.03.2023 द्वारा सूचना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई। भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना की बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है —

क्र.	अधिरोपित शर्ते	अनुपालन
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्र संख्या—2343 / 12—1, दिनांक 17.03.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त संख्या 01 मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्र संख्या—2343 / 12—1, दिनांक 17.03.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
3.	**प्रतिपूरक वनीकरणः—** **(क)** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण करने के लिये 900 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 0.9 ha area (वर्तमान दरों से जमा की जायेगी। जहां तक सम्भव हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों के एकल प्लांटेशन से बचें व प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्र संख्या—2343 / 12—1, दिनांक 17.03.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है। प्रमाण—पत्र संलग्न है। **(संलग्नक—1)**
ख	राज्य सरकार पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुये डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्र संख्या—2343 / 12—1, दिनांक 17.03.2023 से अवगत कराया गया है कि पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुये डिजिटल मानचित्र संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। **(संलग्नक—2)**
ग	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाइल, वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य प्रस्तावित कैचमेन्ट एरिया, ट्रीटमेन्ट क्षेत्र और डब्लू0एल0एम0 पी0 क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई—ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्र संख्या—2343 / 12—1, दिनांक 17.03.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा आवश्यक विवरण को ई—ग्रीन वॉच पोर्टल में शीघ्र ही अपलोड कर दिया जायेगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्र

(3)

	वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमाकंन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिये प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है।	संख्या–2343 / 12–1, दिनांक 17.03.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। **(संलग्नक–3)**
5	**शुद्व** वर्तमान **मूल्यः–** **(क)** इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202 / 1995 में आई0 ए0 नम्बर 556 दिनांक 30.10. 2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफ0सी0 दिनांक (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2 / 2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.450 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्र संख्या–2343 / 12–1, दिनांक 17.03.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 की निर्धारित दरों पर एन0पी0वी0 की धनराशि कैम्पा मद में जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–4)**
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्र संख्या–2343 / 12–1, दिनांक 17.03.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है। **(संलग्नक–5)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 73 वृक्ष से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्र संख्या–2343 / 12–1, दिनांक 17.03.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोटल (https:/parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित / जमा किए जायेंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा रोड साइड वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव एवं एन0पी0वी0 धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।
8	गार्डडलाईन्स में दिए गये दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्र संख्या–2343 / 12–1, दिनांक 17.03.2023 से अवगत कराया गया है कि वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये आदेश पारित नहीं किये गये हैं। आदेश पारित होने पर आपको पृथक से अवगत करा दिया जायेगा।
9	राज्य सरकार District profile की सही जानकारी इस कार्यालय में प्रेषित करेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा District profile संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–6)**
10	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन सबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है, प्रमाण पत्र प्रस्ताव में पूर्व से ही संलग्न किया गया है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
12	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेगें।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्र संख्या–2343 / 12–1,दिनांक 17.03.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
13	पर्यावरण (सरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्र संख्या–2343 / 12–1, दिनांक 17.03.2023 से अवगत कराया

	जायेगा।	गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत: वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है, प्रमाण पत्र प्रस्ताव में पूर्व में ही संलग्न किया गया है।
17	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्र संख्या 2343/12-1, दिनांक 17.03.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्र संख्या 2343/12-1, दिनांक 17.03.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्र संख्या-2343/12-1, दिनांक 17.03.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल सं0 11-42/2017-एफ.सी. दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्र संख्या-2343/12-1, दिनांक 17.03.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
22	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
23	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार के मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हो तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रस्तावक विभाग विभाग द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
25	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग को उक्त शर्त मान्य है।

अत: प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्र संख्या-2343/12-1, दिनांक 17.03.2023 द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एस0एस0रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 2551/1P/UK/ROAD/143491/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को पत्र संख्या 2343/12-1, दिनांक 17.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लैन्सडौन (गढ़वाल)

(एस0एस0रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fax 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः– 2343 /12-1 दिनांक, पौड़ी, मार्च 17, ,2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय– **जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड–नैनीडांडा के अन्तर्गत खण्डोलिया खेत से कौला–पुलटण्डा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.450 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 109 / 2021 / एफ.सी. / 227, दिनांक 17.05.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 3220 / 12–1 दिनांक 13.03.2023 से अवगत कराया गया है कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडौन (गढ़वाल) ने अपनी पत्र सं0 577 / 21 सी0, दिनांक 24.02.2023 से सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नप्रकार प्रेषित की गई है।

क्र.	अधिरोपित शर्ते	अनुपालन
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 3220 / 12–1 दिनांक 13.03.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
3.	**प्रतिपूरक वनीकरणः–** **(क)** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण करने के लिये 900 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 0.9 ha area (वर्तमान दरों से जमा की जायेगी। जहां तक सम्भव हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों के एकल प्लांटेशन से बचें व प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है। प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
ख	राज्य सरकार पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुये डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुये डिजिटल मानचित्र संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। (संलग्नक–2)
ग	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाइल, वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य प्रस्तावित कैचमेन्ट एरिया, ट्रीटमेन्ट क्षेत्र और डब्लू0एल0एम0 पी0 क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओ के लिए कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि उनके वन प्रभाग द्वारा आवश्यक विवरण को ई–ग्रीन वॉच पोर्टल में शीघ्र ही अपलोड कर दिया जायेगा।

क्रमशः पेज 02 पर

IA/DEEP

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण भूमि ... उत्तराखण्ड

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमाकंन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिये प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। **(संलग्नक–3)**
5	**शुद्व वर्तमान मूल्यः–** **(क)** इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में आई0 ए0 नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09. 05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 दिनांक (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05. 02.2009 में जारी निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.450 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 की निर्धारित दरों पर एन0पी0वी0 की धनराशि कैम्पा मद में जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–4)**
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है। **(संलग्नक–5)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 73 वृक्ष से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोटल (https:/parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जायेंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा रोड साइड वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव एवं एन0पी0वी0 धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।
8	गार्डडलाईन्स में दिए गये दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये आदेश पारित नहीं किये गये हैं। आदेश पारित होने पर आपको पृथक से अवगत करा दिया जायेगा।

क्रमशः पेज 03 पर

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fax 01368-222566

	राज्य सरकार District profile की सही जानकारी इस कार्यालय में प्रेषित करेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि District profile संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–6)**
10.	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायगा।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है, प्रमाण पत्र प्रस्ताव में पूर्व से ही संलग्न किया गया है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारो पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
12	संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेगें।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायगा।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है, प्रमाण पत्र प्रस्ताव में पूर्व से ही संलग्न किया गया है।
17	सम्बन्धित वन मंण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमाकंन किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल सं0 11–42 / 2017–एफ.सी. दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।

क्रमशः पेज 04 पर

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fax 01368-222566

22	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
23	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार के मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम/ न्यालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हो तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
25	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

पत्रांक / दिनांक

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(पंकज कुमार)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in , Phone/ Fax no:-01368-222215

पत्रांक:- 2770 / 12-1 दिनांक: पौड़ी, माह, मार्च, 13 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय- **जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड-नैनीडाडा के अन्तर्गत खण्डोलिया खेत से कौला-पुलटण्डा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.450 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/109/2021/एफ.सी./227, दिनांक 17.05.2022 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून की पत्र सं0 3011/FP/UK/ROAD/143491/2021 दिनांक 16.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के कम में अवगत करना है कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडौन (गढ़वाल) ने अपनी पत्र सं0 577/21 सी0, दिनांक 24.02.2023 से विषयांकित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तो की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार से इस कार्यालय को प्रेषित की गई है-

क्र. सं.	अधिरोपित शर्तें	अनुपालन
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी	बिन्दु सं0-1 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	बिन्दु सं0-2 के अनुपालन मे प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
3.	प्रतिपूरक वनीकरण:- (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण करने के लिये 900 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 0.9 ha area (वर्तमान दरों से जमा की जायेगी। जहां तक सम्भव हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों के एकल प्लांटेशन से बचें व प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	बिन्दु सं0-3 के अनुपालन मे प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है। प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-1) कार्यालय वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी प्राप्ति सं0 6387 पत्रांक संख्या 12-1 दिनांक 13/03/23 पत्र किसको भेजा व. प्र.
ख	राज्य सरकार पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुये डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।	बिन्दु सं0-3 (ख) के अनुपालन मे पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुये डिजिटल मानचित्र संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है। (संलग्नक-2)
ग	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाइल, वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य प्रस्तावित कैचमेन्ट एरिया, ट्रीटमेन्ट क्षेत्र और डब्लू0एल0एम0 पी0 क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	बिन्दु सं0-4 के अनुपालन मे इस वन प्रभाग द्वारा आवश्यक विवरण को ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में शीघ्र ही अपलोड कर दिया ~~गया है।~~ जायेगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना व कोष्ठ में निर्धारित [illegible]	बिन्दु सं0-4 का अनुपालन मे प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-3)

5	शुद्ध वर्तमान मूल्यः- (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में आई0 ए0 नम्बर 566 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 दिनांक (Pt 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी निर्देशानुसार, राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.450 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	बिन्दु सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 की निर्धारित दरों पर एन0पी0वी0 की धनराशि कैम्पा मद में जमा कर दी गई है। (संलग्नक-4)
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	बिन्दु सं0 5 (ख) के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-5)
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 73 वृक्ष से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	बिन्दु सं0-6 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोटल (https:/parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जायेंगे।	बिन्दु सं0-7 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग रोड साइड वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव एवं एन0पी0वी0 धनराशि पूर्व ही कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।
8	गाईडलाईन्स में दिए गये दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी।	बिन्दु सं0-8 के अनुपालन में अवगत कराना है कि वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये आदेश पारित नही किये गये हैं। आदेश पारित होने पर आपको पृथक से अवगत करा दिया जायेगा।
9	राज्य सरकार District profile की सही जानकारी इस कार्यालय में प्रेषित करेगी।	बिन्दु सं0-9 के अनुपालन में District profile संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-6)
10	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन सबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायगा।	बिन्दु सं0-10 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है, प्रमाण पत्र प्रस्ताव में पूर्व से ही संलग्न किया गया है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	बिन्दु सं0-11 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
12	संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेगें।	बिन्दु सं0-12 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	बिन्दु सं0-13 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले आउट प्लान नही बदला जायेगा।	बिन्दु सं0 14 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	बिन्दु सं0-15 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी	बिन्दु सं0 16 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है, प्रमाण पत्र प्रस्ताव

17	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर०सी०सी० पिलरों द्वारा सीमांकन किया जायेगा।	बिन्दु सं० 17 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	बिन्दु सं० 18 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	बिन्दु सं० 19 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	बिन्दु सं० 20 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल सं0 11–42/2017–एफ.सी. दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	बिन्दु सं0–21 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
22	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	बिन्दु सं0–22 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
23	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार के मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	बिन्दु सं0–23 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हो तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	बिन्दु सं0–24 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
25	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in) पर अपलोड की जाएगी।	बिन्दु सं0–25 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।

अतः उक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या 04 (चार) प्रतियों में यथोचित कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(स्वप्निल अनिरूद्ध)
उप वन संरक्षक,
गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।

पत्रांकः / ,दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लैन्सडौन (गढ़वाल) को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(स्वप्निल अनिरूद्ध)
उप वन संरक्षक
गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0,लैन्सडौन(गढ़वाल)।

E Mail ID:- eepwdlansdowne@gmail.com. & eepwdlansdowne@rediffmail.com. Phone/Fax : (01386)262260

पत्रांक 577 /3ए दि0-25-2-23

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग
पौड़ी (गढ़वाल)

विषय :– **जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत खण्डोलिया खेत से कौला – पुलटण्डा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.450है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online proposal No.FP/UK/ROAD/143491/2021)**

संदर्भ :– **भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का कार्यालय पत्र सं0 8बी0/यू0सी0पी0/06/109/2021/एफ0सी0/227 दिनांक 17.06.2022 एवं अपर प्रमुख वन** संरक्षक एवं नोडल अधिकारी का कार्यालय पत्रांक 2836/FP/UK/ROAD/143491/2021 दिनांक 26 मई 2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग की सैद्धांन्तिक स्वीकृति संदर्भित पत्र के द्वारा प्राप्त है, जिसमें अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार है :–

क	अधिरोपित शर्त	अनुपालना
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी	शर्त मान्य है।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जानें के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्त मान्य है।
3.	<u>प्रतिपूरक वनीकरण:–</u> (क)प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 900 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशी वर्तमान दरों से जमा की जायेगी। जहां तक सम्भव हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों के एकल प्लांटेशन से बचें व प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी के कार्यालय पत्रांक 299/12–1 दिनांक 29–06–2022 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 3,67,193.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के नाम जमा की गई है।(चालान छाया प्रति संलग्न), शेष अनुपालना आपके कार्यालय के द्वारा पूर्ण की जानी है।
	(ख)राज्य सरकार पौधरोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं कोर्डिनेटस अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।	आरक्षित वन दीवा । क0सं0–5बी में चयनित वृक्षारोपण स्थल के लिये गये कार्डिनेट्स के अनुसार डिजिटल मानचित्र और टोपोसीट 5–5 प्रतियों में संलग्न हैं एवं वृक्षारोपण स्थल की के0एम0एल0 फाईल आपके कार्यालय की मेल आई0डी0 में उपलब्ध कराई जा रही है। पौधरोपण योजना आपके कार्यालय के द्वारा प्रेषित की जानी है।

क्रमशः पृष्ठ सं–2

क्र	अधिरोपित शर्त	अनुपालना
3	(ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की केएमएल फाइल, वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य प्रस्तावित कैचमेन्ट एरिया, ट्रीटमेन्ट क्षेत्र और डब्लू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	अनुपालना आपके कार्यालय के द्वारा पूर्ण की जानी है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है।	बिन्दु सं0–3(क) की अनुपालना के अनुसार पूर्व ही धनराशि रू0 3,67,193.00 उत्तराखण्ड कैम्पा के नाम जमा की गई है।(चालान छाया प्रति संलग्न)
5	<u>शुद्ध वर्तमान मूल्य:–</u> (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202 / 1995 में आई0 ए0 नम्बर 566 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफ0सी0 दिनांक (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2 / 2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.450 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्र सं0 1459 / 3–5–2, दिनांक 01.07.2021 के कम में वित्तीय वर्ष 2022–23 की निर्धारित दरों पर एन0पी0वी0 रू05,81,783.00 की धनराशि कैम्पा मद में जमा की जा चुकी है (चालान छाया प्रति संलग्न)।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रमाण– पत्र पूर्व ही प्रस्ताव में संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 73 वृक्ष से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोटल (https:/parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित / जमा किए जायगें।	रोड साइड वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव की धनराशी रू0 3,67,192.00 एवं एन0पी0वी0 धनराशी रू0 5,81,783.00 कुल रू0 9,48,975.00 पूर्व ही कैम्पा कोष में जमा किये जा चुके है।3(क) की अनुपालना के अनुसार (चालान छाया प्रति संलग्न)

क्रमशः पृष्ठ सं–3

क्र	अधिरोपित शर्तें	अनुपालना
8	गाईडलाईन्स में दिए गये दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। राज्य की राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	शर्त मान्य है।
9.	राज्य सरकार District profile की सही जानकारी इस कार्यालय में प्रेषित करेगी।	शर्त मान्य है।
10	एफ०आर०ए०, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर के निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायगा।	शर्त मान्य है,प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधो की संख्या बढ़ाएगा।	शर्त मान्य है।
12	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेगें।	शर्त मान्य है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	शर्त मान्य है।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायगा।	शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र पूर्व ही प्रस्ताव में संलग्न है।
17	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमाकंन किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	शर्त मान्य है।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	शर्त मान्य है।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन(संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल सं0 11–42/2017–एफ.सी. दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उसपर कार्यवाही होगी।	शर्त मान्य है।
22	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त मान्य है।
23	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार के मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हो तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	शर्त मान्य है।

क्रमशः पृष्ठ सं–4

क	अधिरोपित शर्ते	अनुपालना
25	अनुपालना ई-पोर्टल पर (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जायेगी।	शर्त मान्य है।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या उपरोक्तानुसार विधिवत स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार एवं पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 3591/21C दि0 14-11-2022 के द्वारा संलग्नक 5-5 प्रतियों में आपको प्रेषित है।

भवदीय,

(signature) .23

अधिशासी अभियंता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0
लैन्सडौन गढ़वाल।

पत्रांक / दि0-

प्रतिलिपिः- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण इन्दरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता 12 वॉ वृत्त, लो0नि0वि0 पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सहा0अभियन्ता/अपर सहा0अभियन्ता, प्र0ख0लो0नि0वि0, लैन्सडौन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियंता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0
लैन्सडौन गढ़वाल।

परियोजना का नाम :— जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड नैनीडाडा के अन्तर्गत खण्डोलियाखेत से कौला — पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 0.450 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no.FP/UK/Road/143491/2021)

प्रमाण—पत्र

प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1978 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षो तक रखरखाव के व्यय की धनराशि जमा कराये जानें का प्रमाण—पत्र।

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 900 पौधों का रोपण कार्य किये जानें हेतु एवं दस वर्षो तक रखरखाव में होनें वाले व्यय की आवश्यक धनराशि **@ CA rate for 0-900 ha area** (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) वन विभाग के पक्ष में इस विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

अ0सहा0अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0,	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	प्रा0ख0लो0नि0वि0
लैन्सडौन (गढ़वाल)	लैन्सडौन (गढ़वाल)	लैन्सडौन (गढ़वाल)

संलग्नक-2

डिजिटल मैप- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडाडा के
अन्तर्गत खण्डोलियाखेत से कौला-पुलटण्डा तक मोटर
मार्ग का नव निर्माण के कार्य हेतु वृक्षारोपण स्थलल (कुल क्षेत्रफल–1.27 है0)

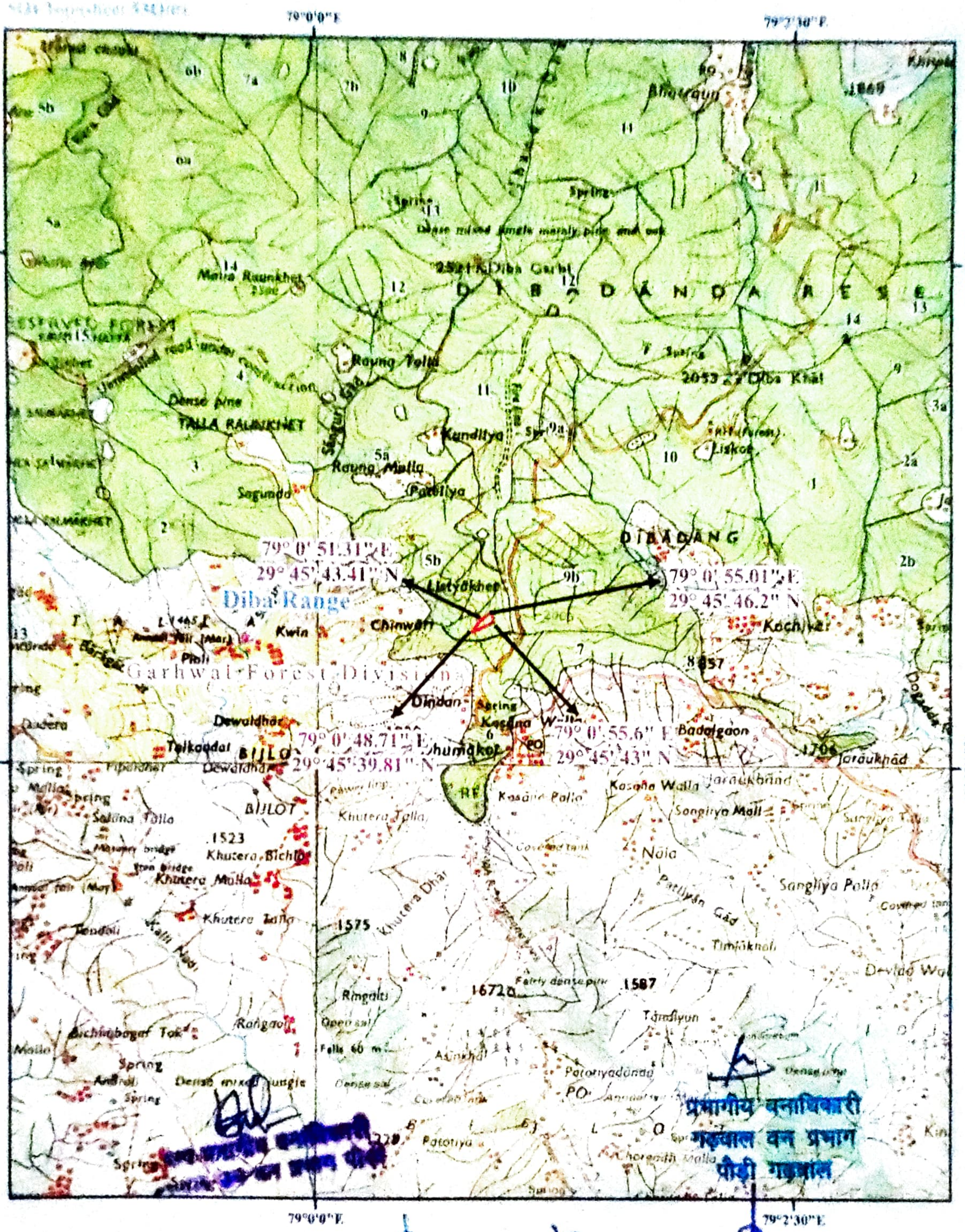

Legend
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary
- Proposed Plantation Site

Scale-1:50,000

प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग
पौड़ी गढ़वाल

जियोरेफरेन्स मैप- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड [illegible] के अन्तर्गत [illegible] से कौला-पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण के कार्य हेतु वृक्षारोपण स्थलन (कुल क्षेत्रफल-1.27 है0)

[illegible]।

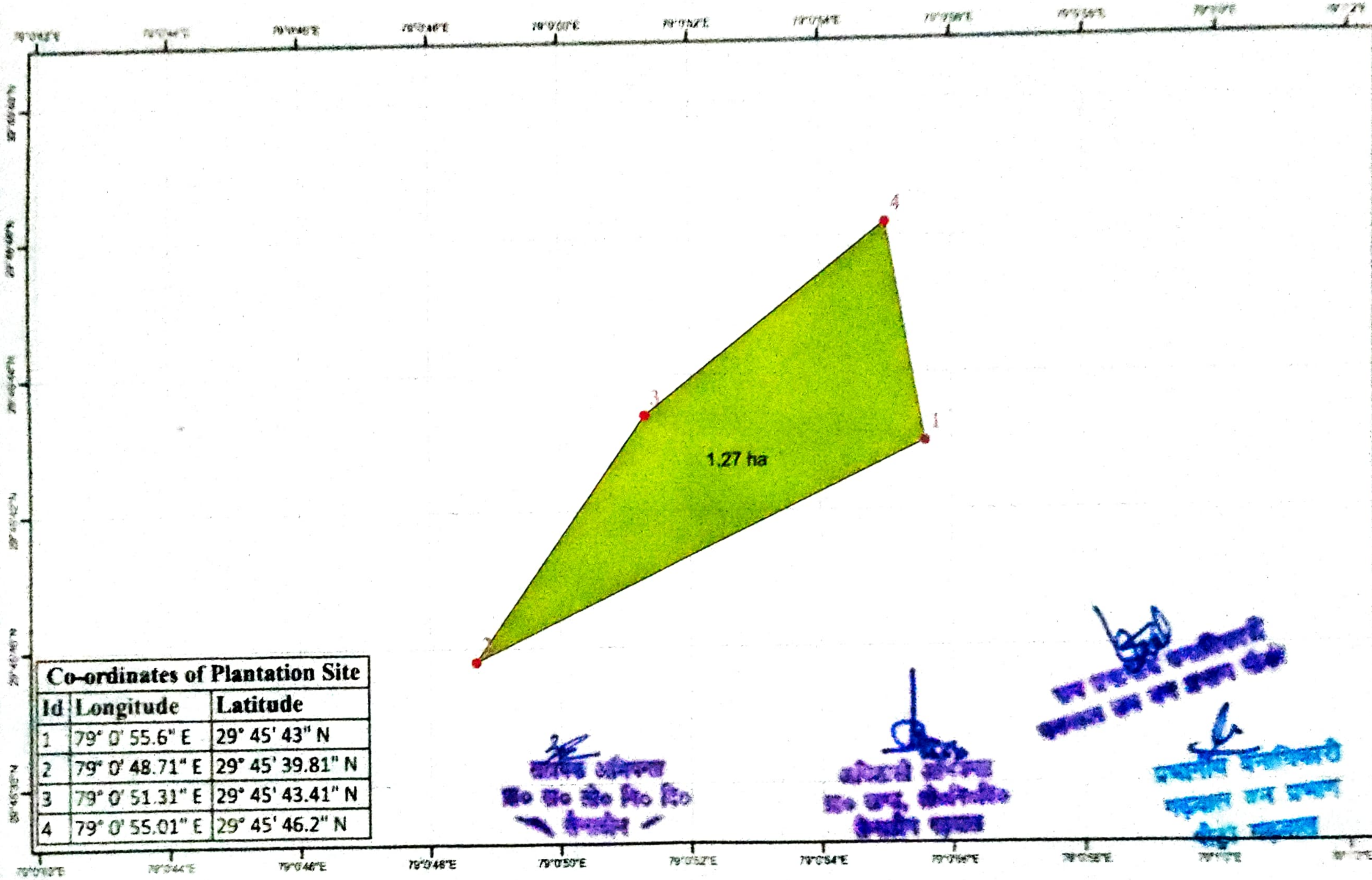

Co-ordinates of Plantation Site		
Id	Longitude	Latitude
1	79° 0' 55.6" E	29° 45' 43" N
2	79° 0' 48.71" E	29° 45' 39.81" N
3	79° 0' 51.31" E	29° 45' 43.41" N
4	79° 0' 55.01" E	29° 45' 46.2" N

Legend

- GPS Location
- CA Land

प्रा० पे० 3

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड नैनीडाडा के अन्तर्गत खण्डोलियाखेत से कौला – पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 0.450 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/Road/143491/2021)

प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन के व्यय के भुगतान का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत से वन विभाग के पक्ष में जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाना है। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि होनें पर अतिरिक्त धनराशी इस विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में यथासमय जमा की जायेगी।

14.11.21		
अ0सहा0अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0, लैन्सडौन (गढ़वाल)	सहायक अभियन्ता प्रा0ख0 लो0नि0वि0 लैन्सडौन (गढ़वाल)	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0लो0नि0वि0 लैन्सडौन (गढ़वाल)

संलग्नक 4
विन्दु सं 4 (ख)

<u>परियोजना का नाम</u> :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड नैनीडाडा के अन्तर्गत खण्डोलियाखेत से कौला – पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 0.450 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal no. FP/UK/Road/143491/2021)

<u>एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने की वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद, देय हो,यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

अ0सहा0अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0, लैन्सडौन (गढ़वाल)	सहायक अभियन्ता प्रा0ख0 लो0नि0वि0 लैन्सडौन (गढ़वाल)	14.11.22 अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0लो0नि0वि0 लैन्सडौन (गढ़वाल)

बिन्दु सं 3, क्रमांक संलग्नक -5

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 18-08-2022

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD LANSDOWNE
PIF/Application No.	61143491447
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/109/2021/FC
Address.	EE P.D PWD Lansdowne Pauri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdlansdowne@rediffmail.com 9456563031 1386-262260
Amount(In Rs)	948976/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India Lodhi complex (03712)

Amount in Words: Nine Lakh Forty-Eight Thousand Nine Hundred and Seventy-Six Rupees Only

Depositor Signature — Bank Official (Signature)

अधिशासी अभियन्ता प्रा० खण्ड, लो०नि०वि० लैन्सडौन गढ़वाल

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

CAMPA-MOEF Copy

यूनियन बैंक Union Bank

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 18-08-2022

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD LANSDOWNE
PIF/Application No.	61143491447
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/109/2021/FC
Address.	EE P.D PWD LansdownePauri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdlansdowne@rediffmail.com 9456563031 1386-262260
Amount(In Rs)	948976/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India Lodhi complex (03712)

Amount in Words :Nine Lakh Forty-Eight Thousand Nine Hundred and Seventy-Six Rupees Only

Depositor Signature (Signature) — Bank Official (Signature)

अधिशासी अभियन्ता प्रा० खण्ड, लो०नि०वि० लैन्सडौन गढ़वाल

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 18-08-2022

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD LANSDOWNE
PIF/Application No.	61143491447
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/109/2021/FC
Address.	EE P.D PWD LansdownePauri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdlansdowne@rediffmail.com 9456563031 1386-262260
Amount(In Rs)	948976/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India Lodhi complex (03712)

Amount in Words : Nine Lakh Forty-Eight Thousand Nine Hundred and Seventy-Six Rupees Only

Depositor Signature (Signature) — Bank Official (Signature)

अधिशासी अभियन्ता प्रा० खण्ड, लो०नि०वि०

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: epurse@unionbankofindia.com

Print Back

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड, लो०नि०वि०
लैन्सडौन गढ़वाल

संलग्नक - 6

District Profile:-

S.No	Name of District	Geographical area of district (in ha.)	Forest area of district (in ha.)	Total Forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of approved cases	CA including Penal CA stipulated (in ha.)		Progress of CA (in ha.)	
						In Forest land	In non-Forest Land	In forest land	In non-Forest land
1	Pauri Garhwal	532900	70161.80	822.6015	260	423.2838	851.1942	423.2838	527.4794

Divisional Forest Officer,
Garhwal Forest Division,
Pauri.

विन्दु सं-५-1

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड नैनीडाडा के अन्तर्गत खण्डोलियाखेत से कौला – पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 0.450 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal no.FP/UK/Road/143491/2021)

प्रमाण–पत्र

प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1978 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षों तक रखरखाव के व्यय की धनराशि जमा कराये जानें का प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 900 पौधों का रोपण कार्य किये जानें हेतु एवं दस वर्षो तक रखरखाव में होनें वाले व्यय की आवश्यक धनराशि **@ CA rate for 0-900 ha area** (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) वन विभाग के पक्ष में इस विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

14.11.22

अ0सहा0अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0,	प्रा0ख0 लो0नि0वि0	प्रा0ख0लो0नि0वि0
लैन्सडौन (गढ़वाल)	लैन्सडौन (गढ़वाल)	लैन्सडौन (गढ़वाल)

डिजिटल मैप- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत खण्डोलिगाखेत से कौला-पुलदण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण के कार्य हेतु वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल-1.27 है0)

SOI Toposheet 53O/01

Legend

- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary
- Proposed Plantation Site

0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km

Scale-1:50,000

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग
पौड़ी गढ़वाल

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०

अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड, लो०नि०वि०

विन्दु से-3

<u>परियोजना का नाम</u> :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड नैनीडाडा के अन्तर्गत खण्डोलियाखेत से कौला – पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 0.450 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal no. FP/UK/Road/143491/2021)

<u>प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन के व्यय के भुगतान का प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत से वन विभाग के पक्ष में जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाना है। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि होनें पर अतिरिक्त धनराशी इस विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में यथासमय जमा की जायेगी।

अ0सहा0अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0, लैन्सडौन (गढ़वाल)	सहायक अभियन्ता प्रा0ख0 लो0नि0वि0 लैन्सडौन (गढ़वाल)	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0लो0नि0वि0 लैन्सडौन (गढ़वाल)

विज्ञ से 3.5क 7   संलग्नक – 4

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 18-08-2022

Client Code	CAM5089
Location	UTTARANCHAL
Remitter Name	PWD LANSDOWNE
PF/Application No.	61143491447
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/109/2021/FC
Address	EE P.D PWD Lansdowne Pauri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdlansdowne@rediffmail.com 9456563031 1386-262260
Amount(in Rs)	948976/-
Beneficiary Branch and Code	Union Bank Of India Lodhi complex (83712)

Amount in Words : Nine Lakh Forty-Eight Thousand Nine Hundred and Seventy-Six Rupees Only

Depositor Signature (Signature) — Bank Official (Signature)

अधिशासी अभियन्ता प्रा० खण्ड, लो०नि०वि० लैन्सडौन गढ़वाल

Bank Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

CAMPA-MOEF Copy

यूनियन बैंक Union Bank

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 18-08-2022

Client Code	CAM5089
Location	UTTARANCHAL
Remitter Name	PWD LANSDOWNE
PF/Application No.	61143491447
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/109/2021/FC
Address	EE P.D PWD LansdownePauri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdlansdowne@rediffmail.com 9456563031 1386-262260
Amount(in Rs)	948976/-
Beneficiary Branch and Code	Union Bank Of India Lodhi complex (83712)

Amount in Words : Nine Lakh Forty-Eight Thousand Nine Hundred and Seventy-Six Rupees Only

Depositor Signature (Signature) — Bank Official (Signature)

अधिशासी अभियन्ता प्रा० खण्ड, लो०नि०वि० लैन्सडौन गढ़वाल

Bank Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 18-08-2022

Client Code	CAM5089
Location	UTTARANCHAL
Remitter Name	PWD LANSDOWNE
PF/Application No.	61143491447
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/109/2021/FC
Address	EE P.D PWD LansdownePauri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdlansdowne@rediffmail.com 9456563031 1386-262260
Amount(in Rs)	948976/-
Beneficiary Branch and Code	Union Bank Of India Lodhi complex (83712)

Amount in Words : Nine Lakh Forty-Eight Thousand Nine Hundred and Seventy-Six Rupees Only

Depositor Signature (Signature) — Bank Official (Signature)

अधिशासी अभियन्ता प्रा० खण्ड, लो०नि०वि०

Bank Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction data to
Email: epurse@unionbankofindia.com

Print   Back

यूनियन बैंक Union Bank of India, 75, Rajpur Rd, Dehradun

डाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड, लो०नि०वि०
लैन्सडौन गढ़वाल

नि.प्र. से क्र(ख) 5

<u>परियोजना का नाम</u> :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड नैनीडाडा के अन्तर्गत खण्डोलियाखेत से कौला – पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 0.450 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/Road/143491/2021)

एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने की वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद, देय हो,यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

		14.11.22
अ0सहा0अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0, लैन्सडौन (गढ़वाल)	सहायक अभियन्ता प्रा0ख0 लो0नि0वि0 लैन्सडौन (गढ़वाल)	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0लो0नि0वि0 लैन्सडौन (गढ़वाल)

संलग्नक-6

District Profile:-

S.No	Name of District	Geographical area of district (in ha.)	Forest area of district (in ha.)	Total Forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of approved cases	CA including Penal CA stipulated (in ha.)		Progress of CA (in ha.)	
						In Forest land	In non-Forest Land	In forest land	In non-Forest land
1	Pauri Garhwal	532900	70161.80	822.6015	260	423.2838	851.1942	423.2838	527.4794

Divisional Forest Officer,
Garhwal Forest Division,
Pauri.